रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 7 नवम्बर, 1974
कार्तिक 16, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4203/सत्रह-वि-1—68-74

लखनऊ, 7 नवम्बर, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय भागीदार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 4 नवम्बर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे ।

अधिनियम संख्या 9, 1932 की अनुसूची 1 का प्रतिस्थापन।

2--भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:--

"अनुसूची 1

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिये]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है		अधिकतम फीस
1--धारा 58 के अधीन कथन	..	एक सौ रुपये
2--धारा 60 के अधीन कथन	..	तीस रुपये
3--धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	..	तीस रुपये
4--धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	..	तीस रुपये
5--धारा 63 के अधीन सूचना	..	तीस रुपये
6--धारा 64 के अधीन आवेदन	..	तीस रुपये
7--धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण	..	रजिस्टर की एक जिल्द के निरीक्षण के लिये दस रुपये।
8--धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण	..	एक फर्म से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये दस रुपये।
9--फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां	..	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिये चार रुपये।"

No. 4203 (2) /XVII-V-1--68-74

Dated Lucknow, November 4, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Bhagidari (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 33 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 4, 1974 :

THE INDIAN PARTNERSHIP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. ACT NO. 33 OF 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Indian Partnership Act, 1932, in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* appoint in this behalf.

2. *For* Schedule I to the Indian Partnership Act, 1932, the following schedule shall be *substituted*, namely :— Substitution of Schedule I to Act IX of 1932.

"SCHEDULE I

Maximum Fees

[*See* SUB-SECTION (1) OF SECTION 71]

Document or act in respect of which the fee is payable	Maximum fee
1. Statement under section 58 ..	One hundred rupees.
2. Statement under section 60 ..	Thirty rupees.
3. Intimation under section 61 ..	Thirty rupees.
4. Intimation under section 62 ..	Thirty rupees.
5. Notice under section 63 ..	Thirty rupees.
6. Application under section 64 ..	Thirty rupees.
7. Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of section 66.	Ten rupees for the inspection of one volume of register.
8. Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of section 66.	Ten rupees for the inspection of all documents relating to one firm.
9. Copies from the Register of Firms ..	Four rupees for each hundred words or part thereof."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 23० सा० विधायिका—1974—350 (मे0) ।